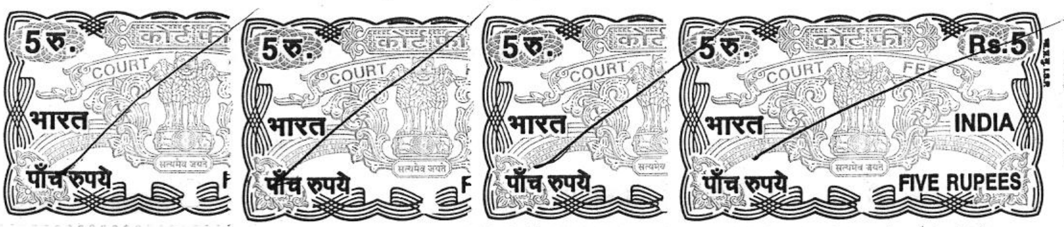


## न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

**प्रकरण क्रमांक : ......../2015**

निगरानी 1554-PBR-15

01. **बाबूलाल** आत्मज श्री रामदयाल
आयु वयस्क, निवासी पिपलिया केशो,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल

02. **कैलाश** आत्मज श्री रामदयाल
आयु वयस्क, निवासी पिपलिया केशो,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल ........ **प्रार्थीगण**

**विरूद्ध**

**मेहताब सिंह पाटीदार** पुत्र श्री जगन्नाथ पाटीदार
आयु वयस्क, निवासी ग्राम जाटखेड़ी,
कृषक ग्राम पिपलिया केशो, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल ....... **प्रतिप्रार्थी**

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.14, जो प्रकरण क्र. 131/अ–12/13–14 में राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर, वृत्त–3, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक निग01554–पीबीआर/15 जिला – भोपाल**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28–7–2015 | आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 8–6–14 एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय में आवेदकगण उपस्थित हुये है, परन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19–5–2014 को सीमांकन किया गया है तथा सीमांकन आदेश दिनांक 8–6–14 को पारित किया गया है । इस दौरान आवेदकगण द्वारा सीमांकन के संबंध में आपत्ति राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित नहीं होता है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही एवं पारित आदेश विधिवत् होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>**अध्यक्ष** | |